न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 127/2019
आरसीएमएस नं. 2019/00127

सुभाष पुत्र सन्तोष पुत्री लिछमण जाति कुम्हार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमागनढ हाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. लिछमण पुत्र रामरख जाति कुम्हार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोहनलाल
3. गोविन्दराम
4. तुलछाराम
5. भानीराम

पुत्रगण लिछमण जाति कुम्हार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

6. कृष्णा पुत्री लिछमण जाति कुम्हार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
7. नितिशा
8. निशा

पुत्रीयान सन्तोष पुत्री लिछमण जाति कुम्हार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर

—— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2018

उपखण्ड अधिकारी, नोहर

प्रकरण संख्या 180/2018 अनवान भानीराम बनाम लिछमण,

उपस्थितिः—

श्री रामकुमार बेनीवाल, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो सं0 1 ता 3 व 5

श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 07.07.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वाद पत्र में रोही मौज टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता सं0 263/240 की कुल 10.1710 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 का लिछमण के साथ 1/6, 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. घोषित करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि भानीराम वगैरा ने अपीलाण्ट का नाम सजरा खानदान में दर्ज न करके कूट रचित दावा पेश किया है जबकि अपीलाण्ट भानीराम वगैरा की बहिन का बेटा है और रेस्पो0 सं0 7 व 8 बेटियां हैं जिनका प्रश्नगत भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है, जिनको फरीक नहीं बनाया है बिना फरीक बनाये ही वाद वादी डिक्री कर दिया गया है। वाद भूमि में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 7 व 8 का 1/7 हिस्सा संयुक्त रूप से है। खाता विभाजन का वाद था मगर रेस्पोडेण्ट सं0 9 लैंड होल्डर से कोई जवाब नहीं लिया गया। वाद में किसी भी प्रकार से सीपीसी में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की और बिना तलबी बिना गवाही साक्ष्य व बिना दस्तावेज बिना वारिसान की सूचि के निर्णय किया गया है जो विधि विरूद्ध है। कृष्णा अदालत में कभी भी हाजिर नहीं आई राजीनामा पर उसकी फोटा नहीं लगी है ना ही आर्डरशीट पर उसके हस्ताक्षर या अंगूठा है। अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था, ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। देरी क्षमा की जावे। अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट ने अपील में गलत बयानी की है। अपीलाण्ट पीड़ित पक्षकार नहीं है। इसलिए वह बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र बिना नियम एवं कायदा कानून के पेश किया है। वादग्रस्त भूमि लिछमण

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पुत्र रामरख की स्व0 अर्जित खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि थी तथा इस प्रकार की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में जो उसकी निजि सम्पति हो उसे किसी को भी देने का अधिकार है तथा लिछमण का अपनी मृतक पुत्री सन्तोष के वारिस को देना की इच्छा नहीं थी इसलिए मृतक सन्तोष के वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया तथा जब लिछमण के जीवनकाल में उसकी स्वअर्जित समपित में किसी प्रकार अधिकार नहीं तथा ना ही किसी खातेदार को अपनी स्व अर्जित सम्पति को किसी को देने से रोका सकता है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिसेस उक्त सम्पति पैतृक कृषि भूमि साबित हो। इसलिए अपीलाण्ट प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार नहीं है। अपीलाण्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है एवं अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में वाद भानीराम द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो अपीलाण्ट के रिश्ते में मामा लगता है। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी सं0 1 लिछमण राम जो कि अपीलाण्ट का नाना है के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। रेस्पोडेण्ट सं0 5 भानीराम एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 लिछमण राम सहित वाद के समस्त पक्षकारों ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किया एवं विचारण न्यायायल ने राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया। अपीलाण्ट ने ऐसा कोइ दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि थी। प्रश्नगत भूमि लिछमणराम के नाम थी और लिछमण राम के जीवित होते हुए उसकी स्वअर्जित सम्पति में किसी प्रकार का अधिकार अपीलाण्ट को नहीं है। लिछमण राम को जरिये राजीनामा अपनी भूमि किसी को भी देने का अधिकार है। इस प्रकार अपीलाण्ट किसी भी प्रकार से पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलाधीन निर्णय राजीनामा के आधार पर पारित किया गया है एवं राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री की अपील संधारण योग्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8 उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.7.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़